



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०ब०-२५/२०१८-११४२ दिनांक : १८/७/१८

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड़डा वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/
कोडरमा वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन
प्रमण्डल/ चाईबासा वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन
प्रमण्डल

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्वर ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं
भू-संरक्षण वृक्षारोपण कार्य हेतु ₹ 0 1198.189 (ग्यारह करोड़ अनठानवे
लाख अठारह हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०ब०-३७/२०१८-२०/स्वी० व०प० दिनांक
२७.०७.२०१८ एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४/यो०बजट-३७/२०१८--
६१/आ० व०प० दिनांक ०२.०८.२०१८।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य
शीर्ष-२४०६-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष-१०१ वन संरक्षण,
विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-४० सिल्विकल्वर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष
२०१८-१९ में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल ₹ 0 1198.189 (ग्यारह करोड़
अनठानवे लाख अठारह हजार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों
में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	769.111
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	429.078
कुल :-		1198.189

२. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के
अनुलग्नक-१ पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी
संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की
राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय



प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2, स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101400103 एवं 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत स्थल का घनत्व खुले वन/ सामान्य वनों की श्रेणी में आता हैं एवं स्वीकृत स्थल इस कार्यालय के पत्रांक 641 दिनांक 30.05.2018 द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप है। कार्य करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography कारवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि के करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हेक्टर लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

6. वन संर्वद्वन कार्य के दौरान खुँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन

योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया

जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-25 / 2018- 1182 दिनांक- 18/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ हजारीबाग/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ हजारीबाग/ चतरा/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-25 / 2018- 1182 दिनांक- 18/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गोड़डा/ देवघर/ कोडरमा/ चतरा/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

**वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्वरल
ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक
पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठो वृक्षारोपण अग्रिम
कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठो)	2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			23738.00	13243.14	36981.14
दुमका रीजन					
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
2	देवघर वन प्रमण्डल	300	71.214	39.729	110.943
योग:-		700	166.166	92.702	258.868
हजारीबाग रीजन					
1	कोडरमा वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	440	104.447	58.270	162.717
योग:-		1240	294.351	164.216	458.567
जमशेदपुर रीजन					
1	चाईबासा वन प्रमण्डल	100	23.738	13.243	36.981
2	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	800	189.904	105.944	295.848
3	सरायकेला वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
योग:-		1300	308.594	172.160	480.754
सकल योग:-		3240	769.111	429.078	1198.189

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्फरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण
(Open Forest (10–40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) : 237.38

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2018–19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 237.38							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	712.14	0.00	712.14	
2	कटबेक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	15	3560.70	0.00	3560.70	
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रैच/पथर घेरान अथवा झाड़ी घेरान (i) ट्रैच घेरान— ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी०, गहराई 1.22 मी०, ड्रेसिंग सहित (ii) पथर घेरान— ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी०, ऊँचाई 1.00 मी० (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे० औसतन 6 चेन	12	2848.56	11782.74	14631.30	प्रति हे० ट्रैच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हे० (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	20	4747.60	0.00	4747.60	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य — कंटूर ट्रैच — अधिकतम 50 कंटूर, साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर तक तथा इसकी भिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	9495.20	500.00	9995.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रैच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रैच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे०	6	1424.28	0.00	1424.28	
7	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।	220	2	474.76	960.40	1435.16	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थायी एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी।
8	वनों की सुरक्षा		2	474.76	0.00	474.76	
	योग—	100		23738.00	13243.14	36981.14	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कायान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठल वृक्षारेपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं	वन प्रमङ्गल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	आना/ आना सं0	जी०पी०एस० को -ऑलिनेट	एलॉट नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेएर में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
दुमका रीजन:-									
		गोड्डा	सुन्दरपहाड़ी		दिम्बी बथान	सुन्दरपहाड़ी- 14		11, 25, 61, 277	50
			सुन्दरपहाड़ी		नारायणपुर	सुन्दरपहाड़ी- 04		18, 24	50
		बोआरीजोर		धमनी पहाड़	बोआरीजोर- 19		1		50
		बोआरीजोर	महुआबथान		बोआरीजोर- 37		1, 926		40
		बोआरीजोर	देवढांड		बोआरीजोर- 63		79		60
		बोआरीजोर	गडियल जंगल ब्लॉक		बोआरीजोर- 38		22		100
		बोआरीजोर	केशागिड्या		बोआरीजोर- 20		18		50
								400	
2	देवघर वन प्रमङ्गल	प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर	देवघर		मांगनासार	देवघर 3	N 24° 34'24.08" E 086° 35'54.32"	138 / 256 , 8 153	110
					अंदरीगादर	देवघर 29	N 24° 31'46.80" E 086° 34'36.43"	919, 932	51
		भू- संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर	देवीपुर	बहादुरपुर	मधुपुर 35		N 24° 14'59.39" E 086° 41'19.64"	39 पी, 109 पी, 220 पी, 234 पी, 235 पी	39
					शहरजोरी	सारठ 522	N 24° 07'31.81" E 086° 50'42.05"	179, 408, 193, 425, 165, 644, 530, 638, 637, 632, 627, 933, 430, 736	50
		भू-संरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर			नाहासिमल	मधुपुर 21	N 24° 21'12.57" E 086° 29'07.11"	432, 475, 570, 474, 455, 487, 526, 529, 532, 566	50
								300	
									700

दुमका रीजन का योग :-

क्र०	वन प्रमङ्गल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	आना/ थाना सं	जी०पी०एस० को—ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेर में)
सं०	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	ix	x
हजारीबाग रीजन									
1	कोडरमा प्रमङ्गल, वन कोडरमा	डोमचाँच	चाक	कोडरमा— 42	N 24° 33.768'' E 85° 39.851''	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16	40		
		डोमचाँच	नलवा	कोडरमा— 43	N 24° 33.190 E 85° 41.224	233(p), 245, 246, 247, 248, 249, 250, 259, 260, 261	60		
		डोमचाँच	कबराबूट	कोडरमा— 26	N 24° 31.355 E 85° 45.059	121(p), 122, 123, 125, 126	50		
		डोमचाँच	मरकट्टो	कोडरमा— 96	N 24° 29'34.7 E 85° 50'04.2	159, 168, 169, 170, 171(p), 197(p)	50		
		सतगाँव	सतगाँव— 110	कोडियार	N 24° 40'24.5 E 85° 41'43.0	311(p), 312, 313, 314, 315, 222(p)	50		
		सतगाँव	हदहदवा	सतगाँव— 118	N 24° 37'52.8 E 85° 43'36.9	35(p), 17(p)	50		
		गङ्गाझी	कोडरमा	कौआबार	N 24° 30'47.9 E 85° 27'58.1	360(p), 361, 362, 358, 359(p)	50		
		चंदवारा	चंदवारा	चौराही	चंदवारा— 262	N 24° 26'968 E 85° 27'795	3(p), 4(p), 5(p), 6(p)	50	
योग:-									
2	चतरा उत्तरी वन प्रमङ्गल, चतरा	हटरांज प्रक्षेत्र	बेलगडा	हटरांज— 266	24° 24.168'	225, 226, 228, 955, 956	50		
		प्रतापुर प्रक्षेत्र	विस्मातकुम	प्रतापुर— 111	24° 16.153' 84° 36.033'	2(p), 3(p), 4(p), 6	50		
		कुन्दा प्रक्षेत्र	सिदकी	हंटरांज— 242	24° 11.117' 84° 40.515'	2, 3, 20, 73, 100	50		
		राजपुर प्रक्षेत्र	लुटवा	चतरा— 150	24° 16.515' 84° 54.221'	22, 23, 24, 29, 30	50		
		हंटरांज प्रक्षेत्र	सागासोत	हंटरांज— 02	24° 28.149' 84° 53.123'	2(p), 3(p), 4(p)	50		

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	आना / अना सं०	जी०पी०एस० को—ऑडिनेर	प्लॉट नंबर	द्वे त्रफल (हे० मे०)
सं०									
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
		खरसावा०	खरसावा०	नारायणबेडा	खर०— 140			2, 3, 53, 580, 586	50
		खरसावा०	खरसावा०	झुंडाकी	खर०— 191			1, 2, 6, 35, 36, 52, 53, 54, 258, 411, 466, 469	50
3	सरायकेला वन प्रमंडल	खरसावा०	कुचाई	जिलिंगदा	खर०— 128				50
		राजनगर	रोला	गो०— 176					50
		सरायकेला	रागरी	सरा०— 353					50
		गम्हरिया	विश्वामपुर	सरा०— 353					50
		चापिडल	रामगढ़	चा०— 326					100
							400		
						योग:-			
						जमशोदपुर रीजन को योग:-	1300		
						सकल योग:-	3240		

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
इतारखण्ड, राँची



गोपनीय सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-25/2018/1182

दिनांक -

18-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56459	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिंचानवे हजार दो सौ
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56460	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	7,121,400.00 रुपये इकहल्तार लाख इककीस हजार चार सौ
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56461	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिंचानवे हजार दो सौ

योगः

26,111,800.00

क्रमिक योगः

रुपये दो करोड़ इकसठ लाख म्यारह हजार आठ सौ


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DEO, DAF, Koderma Ranchi


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर औपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56462	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिंचानवे हजार दो सौ
5	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर औपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56463	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	10,444,700.00 रुपये एक करोड़ चार लाख चावालीस हजार साल सौ
6	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर औपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56464	SGHFOR010 VINAY KANT MISHRA (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	2,373,800.00 रुपये तेहस लाख तीहत्तर हजार आठ सौ
<hr/>				
योग:				22,313,700.00
क्रमिक योग:	रुपये चार करोड चौरासी लाख पच्चीस हजार पॉच सौ			48,425,500.00
<hr/>				
 PCCF.DIVADHAKNARNS(RANCHI)				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101400103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56465	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	18,990,400.00 रुपये एक करोड नवासी लाख नब्बे हजार चार सौ
8	S 19 240601101400103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56466	SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिंचानवे हजार दो सौ
9	S 19 240601101400323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56467	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ
<hr/>				
योग:				33,782,900.00
क्रमिक योग:	रुपये आठ करोड बाइस लाख आठ हजार चार सौ			82,208,400.00
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF.DI(BADHANKHANS)RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56468	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	3,972,900.00 रुपये उनचालीस लाख चहत्तर हजार नौ सौ
11	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56469	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ
12	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56470	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ
<hr/>				
योग:				14,567,500.00
क्रमिक योग:	रुपये नौ करोड सठसठ लाख पचहत्तर हजार नौ सौ			96,775,900.00
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF,D(BADARKHANSIRANCHI)				

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56471	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	5,827,000.00 रुपये अठावन लाख सत्ताइस हजार
14	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56472	SGHFOR010 VINAY KANT MISHRA (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौहास हजार तीन सौ
15	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56473	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	10,594,400.00 रुपये एक करोड़ पाँच लाख चौरानवे हजार चार सौ
<hr/>				
योग:				17,745,700.00
क्रमिक योग:	रुपये म्यारह करोड पैतालीस लाख इक्कीस हजार छ: सौ			114,521,600.00
<hr/>				
 (SHRI SATNAM SINGH) 18/9/18 PCCF, D.B.D.H.M.H.N.S (RANCHI)				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं मासग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56474	SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	5,297,300.00 रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ



योगः

5,297,300.00

क्रान्तिक योगः

रुपये स्पारह करोड अठानवे लाख अठारह हजार नीं सौ

119,818,900.00

Satnam Singh
(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF.DIBDAKHARKHANSI RANCHI